फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्रीमती गेहरी कुंवर पत्नि श्री मोडसिंह निवासी भुरडा की माची, थोरिया, तहसील कुम्भलगढ **–अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 38/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 29.09.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/552–53 दिनांक 27.07.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 18.02.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 20.02.2020 को प्राप्त हुआ हैं। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कार्यालय हाजा व तहसीलदार कुम्भलगढ जिला राजसमन्द की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक प.1 ( )सू0अ0,05/2020/246–48 दिनांक 27.02.2020 को प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख द्वारा भी जरिये पत्रांक 6174–79 दिनांक 27.02.2020 से चाही गई सूचना अभिलेख पर उपलब्ध नही होने से उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ/राजसमन्द व तहसीलदार कुम्भलगढ को सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन अन्तरण किया गया जो प्रार्थिया ने अपील प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया हैं। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय /अनुभाग को प्राप्त हुआ, आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना इस कार्यालय की नही होने से तत्काल संबंधित कार्यलय को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(1)(11) के तहत अन्तरण कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया तथा प्रार्थी अपीलार्थी को भी प्रथम अपील अधिकारी की सूचना के साथ सूचित किया गया।	

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा जरिये पत्रांक 895 दिनांक 29.09.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थीया श्रीमती गहरी कुंवर पत्नी श्री मोडसिंह निवासी ग्राम थोरिया द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत ग्राम थोरिया के आ.नं. 2135/292 की जमाबन्दी संवत 2032 व 2074 तक की प्रतियॉ एवं आवंटन वर्ष के नामान्तरकरण की प्रति, नामान्तरकरण संख्या 1334 की प्रति प्रार्थीया के प्रतिनिधि (पुत्री) को उपलब्ध करा दी गई हैं। प्रार्थीया द्वारा चाही गई एलॉटमेंट मिसल की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नही हैं। एलॉटमेंट मिसल के अलावा सभी प्रतिलिपियॉ उपलब्ध करवा दी गई हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रस्तुत अपील इस कार्यालय से संबंधित नही होने व लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ की रिपोर्टानुसार से एलॉटमेंट मिसल की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण एलॉटमेंट मिसल के अलावा सभी प्रतिलिपियॉ उपलब्ध करवाये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द